Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No. 226/2026, Barsoi P.S. Case No.- 379/2025
Anwar and others v/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.-226/2026
Barsoi P.S. Case No- 279/2025

1. अनवर पिता कमीरूद्दीन, उ0त0 50 वर्ष,
2. अनसुरा खातून उर्फ बंगालीन पति अनवर, उ0त0 45 वर्ष,
3. मो0 मुन्ना पिता अनवर, उ0त0 26 वर्ष,
4. कालचु उर्फ अजहर आलम पिता स्व0 मकबुल, उ0त0 23 वर्ष,
5. देलवा उर्फ मजहर पिता स्व0 मकबुल, उ0त0 25 वर्ष,
6. मो0 खुर्शीद आलम पिता स्व0 मकबूल , उ0त0 21 वर्ष,

निवासी ग्राम– बरीहाला बिशनपुर , थाना– बारसोई,

जिला– कटिहार। ....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः मो0 ....नावेद आलम।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 18.05.2026 आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 12.02.2026 को आवेदकगण की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता मो0 नावेद आलम द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक मो0 फारूक ने थानाध्यक्ष बारसोई को एक टंकित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 20.11.2025 को करीब 6:00 बजे सुबह में अपने खेत में अगहनी धान काट रहा था कि 1. अनवार, 2. बारूद, 3. मो0 मुन्ना, 4. अनसुरा खातून उर्फ बंगालीन, 5. कालचु, 6. ढेलआ, 7. खुरशेद एकजुट होकर नाजायज मजमा बनाकर अपने अपने हाथ में तलवार भाला, लोहे का रॉड एवं लाठी डंडा लेकर गंदी–गंदी गाली देते हुए मेरे खेत में पहुंचे और मुझे धान काटने से रोकते हुए अनवार अपने हाथ में लिये लोहे के रॉड से मेरी हत्या करने के नियत से मेरे सिर पर वार किया, जिससे मेरा सिर फट गया और खून से लथपथ होकर मैं जमीन में पड़ गया और बारूद अपने हाथ में लिये तलवार से मेरा निर्मम हत्या करने के नियत से मेरा दोनों पांव के घुटना के नीचे वार किया, जिससे मेरा देनों पांव कट गया और मो0 मुन्ना, अंसुरा उर्फ बंगालीन, कालचु, ढेलवा एवं खुरशेद मिलकर मेरी हत्या करने के नियत से लाठी डंडा एवं भाला से पीटने लगे, जिससे मैं अर्धमरा हो गया। मारपीट का हल्ला सुनकर मेरी पत्नी रबीजा खातून मुझे बचाने आयी तो मु0 मुन्ना लाठी से उनकी पिटाई करने लगा, जिससे उनकी कमर एवं पूछे शरीर में चोट लगी है। मारपीट के क्रम में बारूद एवं ढेलवा मिलकर मेरी पत्नी की दोनों कान से आधा भर सोने की बाली कीमत 75000/– रूपया जबरन निकाल लिये। हल्ला पर ग्रामीण आये तथा बीच बचाव किये।
3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मो0 नावेद आलम एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

webcourtsbihar

4. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता मो0 नावेद आलम द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण वृद्ध तथा बीमार व्यक्ति हैं । अतः न्यायहित में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।
5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।
6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि.......................

7ए

8. सूचिका आरती देवी के लिखित आवेदन के आधार पर कोढा थाना कांड संख्या– 305/2025 दिनांक 19.12. 2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2),118(1),74,76,351(2),352,329(3) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2),115(2),351(2),352,329(3)/3(5) के अन्तर्गत आरोपित करते हुए आरोप पत्र संख्या– 512/2025 दिनांक 31.12.2025 न्यायालय में समर्पित किया गया है। आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक 27.01.2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2),118(1),74,76,351(2),352,329(3)/3(5) के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 23 से विदित है कि अभियुक्तों के विरूद्ध निर्गत नोटिश पर पुलिस द्वारा उन्हें बंधपत्र पर मुक्त किया गया है। कंडिका–16 से विदित है कि अभियुक्तगण सूचिका के दरवाजे के पास आकर उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे, जिसके विरोध में सूचिका द्वारा उनलोगों को गाली देते हुए अपने दरवाजे से चले जाने के लिए बोला तो अभियुक्तों द्वारा वादिनी के साथ गाली–गलौज करते हुए धक्का–मुक्की किया गया, जिसमें वादिनी जख्मी हो गयी। उभय पक्ष आपस में संबंधी हैं। सूचिका सुभाष चौहान की सरहज तथा अन्य अभियुक्त उसके भगीना लगते हैं।
9. मामले के उपरोक्त विवेचन तथा उभय पक्षों के बीच के संबंध को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदकगण को आदेश की तिथि/आदेश प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/–रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में वर्णित उपबंधों के पालन में वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of order	16-05-2026
Date of Reserving order	16-05-2026
Uploading date	16-05-2026
Uploaded by	

webcourtkatihar

www.bcopycivilcourtkatihar